प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल



"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क ईस्ट० भोपाल ४६२०११

फोन न.-. +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

समूह-3 के अन्तर्गत उपयंत्री — सिविल / विद्युत / यांत्रिकी एवं मानचित्रकार के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

		3							
ऑनलाईन आवेदन-पत्र									
आवेदन पत्र भरने की प्र	ारम्भ तिथि : 27.07.2018	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि :	10.08.2018						
आवेदन पत्र मे संशोधन	करने की प्रारम्भ तिथि : 27.07.2018	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि :	15.08.2018						
परीक्षा दिनांक व दिन		01-02.09.2018 शनिवार, रविव	गर						
	परीक्षा शुल्क								
सीधी भर्ती /संविदा	अनारक्षित	न अभ्यर्थियों के लिये रू. 500/-							
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ	न्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये	T 250/						
नपा हतु	पदो हेतु (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)								
	सीधी भर्ती - बैकलॉग कोई शुल्क नहीं								
ऑनवार्डन भावेटन - वि	भॉनवार्डन भावेटन - कियोस्क के माध्यम में भानवार्डन भयने वाबे अभ्यार्थियों हेन एमपीभानवार्डन का पोर्टव शब्क रूपये 70/- देय होगा								

ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यथियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रू. देय होगा ।

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
01-02.09.2018	प्रथम	प्रात: 7:00 से 8:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)
शनिवार रविवार	दवितीय	दोपहर 12:00 से 1:00 बजे		प्रातः 02:00 से 05:00 बजे तक
		तक	(10 मिनट)	(3:00 घंटे)

टिप्पणी:-

- 1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है । यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
- 2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है।
- 3. मूल फोटोय्क्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार इनेबल्ड बह् स्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- 5. परीक्षार्थियों को परीक्षा को निर्धारित रिर्पोटिंग समय में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमित होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
- 6. परीक्षा केन्द्र एंव कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
- 7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- 8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है ।
- 9. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
- 10. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमित नहीं होगी।
- 11. आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्रका परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाता है । अतः कम्प्यूटर आधारित Online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्राविधक (Provisional) होगी।
- 12. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थित में नियम प्स्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी।)

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011 फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

समूह-3 के अन्तर्गत उपयंत्री — सिविल / विद्युत / यांत्रिकी एवं मानचित्रकार के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018 आयोजन के नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	समूह-3 के अन्तर्गत उपयंत्री — सिविल/विद्युत/यांत्रिकी एवं मानचित्रकार के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018	3-18
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	19-36
3.	3	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	37 -52
4	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	53
5.	प्रारूप-1	प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपप्ति हेतु अभ्यावेदन	54
6	प्रारूप-2	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	55
7	प्रारूप-3	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	56

अध्याय - 01 सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्रमांक सी 3-10/2013/1/3 : : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिए तथा मानदण्ड नियत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -

- (1.) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013" है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाऐं - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कि संबंधित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;
- (ख) "न्यूनतम अर्ह अंक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में अर्ह होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ड.) "संस्था" से अभिप्रेत है शासकीय विभागों द्वारा विनियमित विभिन्न निगम/मण्डल/आयोग/बोर्ड/संस्थाऐं;
- (च) "कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा" से अभिप्रेत है उन सभी पदों पर भरती के लिए, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा;
- (छ) "सफल अभ्यर्थियों की सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक तक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्गों" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस/484 दिनांक 26 दिसंबर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

- (झ) "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अधीन आने वाले व्यक्ति;
- (স) "पद" से अभिप्रेत है राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं के वे समस्त पद जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं;
- (ट) "भरती वर्ष" से अभिप्रेत है संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कालावधि;
- (ठ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (इ.) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (ण) "उपक्रम" से अभिप्रेत हैं राज्य के मण्डलों, निगमों, आयोगों, स्वायत्तशासी निकायों, सोसाइटियों. सहकारी बैंकों के रूप में घोषित उपक्रम:
- (त) "व्यापम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;
- 3. लागू होना :- (1) ये नियम राज्य के सभी विभागों/संस्थाओं को लागू होंगे।
 - (2) सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों तथा संस्थाओं के कार्यालयों से संबंधित सभी पदों को भरने के लिए चयन, मण्डल द्वारा, उसके द्वारा नियम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। सभी विभागों/संस्थाओं को ऐसे चयन, उनके स्वयं के स्तर पर या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संचालित करवाया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
 - (3) इन नियमों में अभिव्यक्त उपबंधों का मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा।
- 4. विभागीय भरती नियमों को मान्यता प्रदान किया जाना वे समस्त उपबंध जो इन नियमों में जोड़े गए हैं, और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किए गए हैं, संशोधित किए जाएंगें और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सम्मिलित किए जाएंगें और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाएंगे।
- 5. अर्हकारी अंक (1) मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होनें नियम 7 में समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन

अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।

- (2) इन नियमो के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -
 - (क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए मण्डल से कोई मांग नहीं करता है ;
 - (ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;
 - (ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और
 - (घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

6. विस्तार -

- (1) राज्य के सभी विभाग/उपक्रम उनकी रिक्तियों को मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची में से भरेंगे जिसमें कण्डिका 6 में यथा उल्लिखित भवि''य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं।
- (2) मण्डल, पात्र अभ्यर्थियों के नाम, यदि उनके द्वारा ऐसी मांग की जाए तो सभी विभागों/संस्थाओ/निगमों/मण्डलों/आयोग/स्वायत्तशासी निकायों/सोसाइटियों/सहकारी बैंकों को भी अग्रेषित करेगा।
- 7. सेवा समूह सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 7 सेवा समूह में संशोधन किया गया है। विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह, जिनके कि लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, अर्थात् -

तालिका

स. क्र.	सेवा समूह	पद का संवर्ग/पदनाम	श्रेणी
1.	समूह-3	समूह-3 के अन्तर्गत उपयंत्री — सिविल / विद्युत / यांत्रिकी एवं मानचित्रकार के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2018	तृतीय श्रेणी

8. परीक्षा का आयोजन - ऊपर कण्डिका 7 में उल्लिखित सेवा समूह-3 के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए मण्डल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/ पद के लिए आयोजित की जाएगी।

संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी अर्थात् **–तालिका** ऑनलाईन परीक्षा पद्धति के लिये

स.क्र.	समूह	प्रश्न पत्र की कुल संख्या	कुल अंक	प्रश्न पत्र का विवरण	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	समूह-3	01	200	(अ) सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान	
				(ब) संबंधित विषय	100

09.पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-

(1) अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

समूह-3

- (क) अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) के साथ ही साथ संबंधित अभियांत्रिकी विषय में तीन वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता ।
- (ख) मानचित्रकार/ सहायक मानचित्रकार हेतु- हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी परीक्षा (10+2) के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नक्शानवीस (ड्राफ्टसमैनशिप) में प्रमाण-पत्र/मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुकला में पत्रोपाधि/मान्यता प्राप्त संस्था से आर्कीटेक्ट या मानचित्रकार में डिप्लोमा।
- (2) अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अहं हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।
- (3) आयु सीमा उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त किनष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गो, विभागों/निगमों/मण्डलों /आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थित में की जाएगी:

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी:

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

9.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

- (i) अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की **01 जनवरी 2018** को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव **पत्र क्र**./सी.3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है:-

1.

豖.	भर्ती का तरीका	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	18 से 25

2. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25 + 15 = 40
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	25 + 20 = 45
3	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था	25 + 20 = 45
	के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	20 1 20 - 40
4	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/	25 + 20 = 45
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	23 + 20 = 43
5	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय /निगम/	25 + 20 = 45
	मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	25 + 20 - 45
6	नि:शक्तजन आवेदकों के लिए	25 + 20 = 45
	प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम	। आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।

3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

9.3 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

- (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पूराना नाम आदिम जाति, हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वष की छुट दी जावेगी।
- (ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छट दी जावेगी।
- (iii) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

9.4 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- (i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अविध भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमित दी जायेगी, बशर्तें कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।
 - स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छ: माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।
 - (ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमित दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
 - स्परष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छ: माह की अविध तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिषों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-
 - (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
 - (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

- (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
- (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पाविध सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छ: माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर रा"ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- टीप: (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमित प्राप्त करनी होगी।
 - (2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 3.4 (ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-
- " आयु-सीमा के संबंध में विशेषा उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वहर इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारिक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालाविध घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिहिंत अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 10 में उपनियम-03 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया गया है, जो निम्नानुसार है -

(क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न-भिन्न रहती है, विषायवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृटि से, प्रोफेशनल एग्जॉमिनेशन बोर्ड, भोपाल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका-07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ-साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करता है तो वह कार्य भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल कर सकेगा।

10 . अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना -

- (1) मण्डल एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाईन या जैसा कि मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में मण्डल के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए;
- (2) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे तथा मण्डल अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का दायी नहीं होगा।(बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया अभ्यर्थियों हेतू)
- (3) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिंहित कर सकेगा।

(4) अभ्यर्थी पृथक् रूप से एक से अधिक समूह की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा यदि उसके पास ऊपर वर्णित पद के लिए समुचित अर्हता हो। विभिन्न पदों के लिए उसे पृथक् आवेदन फार्म जमा करना होगा और समूहवार चयन परीक्षा में पृथक-पृथक उपस्थिति होना होगा।

11. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना

- (1) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ महिलाओं/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (3) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।
- (4) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगें।
- (5) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से नि:शक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं, शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी कम्पार्टमेंट में स्थान प्राप्त कर सकेंगे।
- (6) समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

12 . नियुक्ति के लिए मण्डल की अनुशंसाऐं -

(1) मण्डल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा।

- (2) संबंधित विभाग अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और मण्डल द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपचारिकताऐं पूरी करेगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- (3) चयनित अभ्यर्थी को एक विभाग आवंटित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता स्वत: ही रदद् हो जाएगी।

13. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि -

- (1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रय सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी। ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतिक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।
- (2) मण्डल, अंतिम सूची की विधिमान्यता की समाप्ति के 6 मास पूर्व अर्थात् जनवरी मास तक आगामी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा
 - परन्तु सफल अभ्यर्थियों की, नयी अंतिम सूची जारी होने की तारीख तक, यदि मण्डल ने संबंधित विभागों को अभ्यर्थियों के नाम भेज दिए हैं तो विभाग अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर सकेगा और नयी सूची पूर्व की सूची को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी।
- (3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा व्यापम की परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये है। जिसके अन्तर्गत व्यापम के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चत किया गया है।

14 . प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया -

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग, शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेगा। यदि अभ्यर्थियों के लिए कोई विभागीय परीक्षा आयोजित किए जाने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग द्वारा उसे आयोजित किया जाएगा तथा ऐसी परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित नहीं की जाएगी।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों, चिरत्र प्रमाण पत्र का सत्यापन आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करना सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा।

15.आरक्षण -

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति - 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति - 16 प्रतिशत अन्य पिछःडे वर्ग - 14 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

(2) क्षैतिज आरक्षण -

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्र 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है:-

किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टर एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्याजन अधिकारअअधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के िनयम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधीभर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेंणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है:-

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	1.5 प्रतिशत
2.	बहरे और कम सुनने वाले,	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी,	1.5 प्रतिशत
	कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	
4.	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निग डिसेबिलिटी और	1.5 प्रतिशत
	मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा नि:शक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमश: तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

- (3) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
 - (ख) शारीरिक रूप से विकलांग या नि:शक्त अभ्यर्थियों में नि:शक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी मण्डल द्वारा नहीं।
 - (ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी
- (4) सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति-निदेश जारी किये गये है (उक्त आदेश का पालन संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा)

16.आवेदन शुल्क -

आवेदन शुल्क का विनिश्चय मण्डल की कार्यपालक सिमिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सिम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है:

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर मे आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

17.यात्रा भत्ता -

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की नगद प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख के पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची यात्रा व्ययों का अनुमानित आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषत: आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धित से ही किये जाने के निर्देश दिये गये है। सभी अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप-4 में अपना बैंक खाता विवरण आवश्यक रूप से साथ लेकर आएं।

18.परीक्षा केन्द्र -

परीक्षा केन्द्रो का निर्धारण पी.ई.बी. के माप दण्डों अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जावेगा।

19. निरर्हता -

- (1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (2) (क) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरूष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
 - (ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पित की एक से अधिक जीवित पित्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छुट दी जा सकेगी।
 - (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

20.अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति -

उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलत: प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो

21. आवेदनों का रह किया जाना -

ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है, रद्द कर दिए जाएंगे तथा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा।

22. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा -

- (1) आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (2) आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह मण्डल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेषा घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो, सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

23. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार -

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने -

- (क) आनलाईन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है; या
- (ख) प्रतिरूपण किया हो; या
- (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो; या
- (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किया गए हों जो रूपांतरित किए गए हों; या
- (ड़) ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो: या
- (च) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिया हो; या
- (छ) परीक्षा कक्ष में किन्हीं अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास किया हो; या

- (ज) परीक्षा कक्ष में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की धमकी दी हो या धमकी दिलवाई हो; या
- (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए दिशा निर्देशों या आदेश और परीक्षा कक्ष में अधीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो; या
- (স) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यव्हार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराता हो।

24. नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

- (I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को
- (क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये।
- (ख) नेपाल की प्रजा होना चाहीये।
- 2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंतत: जारी कर दिया जाए।
- (॥) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

25. नि:शक्तजनों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति -

शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र मध्यप्रदेश क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 30.06.2014 एवं आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार नि:शक्तजनों के लिए 06 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण दिया गया है और उसमें भी चारी श्रेणी के लिए 1.5-1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 जारी करते हुए पूर्व में आरक्षित किए गए रोस्टर के बिन्दुओं को निरस्त करते हुए तीन खण्ड बनाये गये है। अत: नि:शक्तजनों के जो भी पद विज्ञापित किए गए वह वर्गवार न होकर नि:शक्तजनों की श्रेणीवार (चार श्रेणी) हो। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होगे, उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा। हॉरिजेण्टल आरक्षण में वर्गवार प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नही है, किन्तु वर्टीकल आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के आरक्षण को बनाये रखना आवश्यक है। इसमें कोई भी आरक्षित वर्ग के पद को किसी अन्य श्रेणी से भरने की अनुमति नही है।

26. मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के पत्र क्र. सी 3-5-2015-3-एक भोपाल, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के अनुसार व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु वांछित अतिरिक्त योग्यता का उल्लेख न किया जाना । अर्थात मध्यप्रदेश किनष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम,2013 के नियम-4 में विभागीय भर्ती नियमों को मान्यता दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार वे समस्त उपबंध जो, इन नियमों में जोडे गये है,

और जो वर्तमान में विभागीय भर्ती नियमों में समायोजित नहीं किये गए हैं, संशोधित किये जाऐंगे और सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय भर्ती नियमों में सिम्मिलित किए जाऐंगे और तब तक जब तक कि विभागीय भर्ती नियम संशोधित नहीं हो जाते, इन नियमों के उपबंध संशोधित समझे जाऐंगे।

अतएव व्यापम के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु न्यूनतम अर्हता के अतिरिक्त वांछनीय अनुभव व वांछनीय योग्यता या उसके आधार पर वरीयता दिये जाने का उल्लेख विभागों द्वारा नहीं किया जाए । इसके अतिरिक्त पदों का विवरण भेजते समय उक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये ।

27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल, के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की फीस प्रति पूर्ति की प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सीधे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को करेंगे।

28. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 की कण्डिका 3 एवं 4 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूचीके (तब तक विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपलब्ध कुल पद संख्या) 15 प्रतिशत की प्रतिसूची बनाई जावेगी।

ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी तथा इसके माध्यम से ऐसे सक्षम पदों जिनके लिए विभाग।विभागों द्वारा इंडेट आवेदन फार्म भरते के प्रथम दिनांक के बाद बोर्ड को उपलब्ध कराया गया है को भरा जा सकेगा। इस हेतु विभागों को यह प्रतिक्षा सूची उपलब्ध कराई जावेगी, जिसे वे अभ्यर्थियो को सीधे आहुत कर सकेगे का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार विभाग के पदों की पूर्ति की जा सकती है।

29 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे।

अध्याय - 02

समूह-3 (डिप्लोमा लेवेल) के अन्तर्गत उपयंत्री — सिविल / विद्युत / यांत्रिकी एवं मानचित्रकार के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018

विभागवार रिक्त पदों का विवरण

भर्ती का प्रकार - सीधी भर्ती

स.	प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम,	पोस्ट	पोस्ट पद		श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या				पद की स्थिति
豖.	जिनमें पद रिक्त है	कोड		अना.	अजा.	अजजा	अपिव	कुल	
1	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर	1(A)	सहायक मानचित्रकार	01	00	00	00	01	कार्यपालिक
	(म.प्र.)	1(B)	सर्वेयर	01	00	00	00	01	कार्यपालिक
	कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल	2(A)	उपयंत्री (वि/या)	30	10	12	08	60	कार्यपालिक
2	संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर भोपाल म-प्र 462003	2(B)	उपयंत्री (सिविल)	71	23	28	19	141	कार्यपालिक
3	संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विन्ध्याचल भवन, चतुर्थ तल, भोपाल म.प्र.	3(A)	मानचित्रकार	15	04	06	04	29	कार्यपालिक
	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना	4(A)	उपयंत्री (सिविल)	18	01	14	04	37	कार्यपालिक
4	विकास मंडल, चतुर्थ तल, खंड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011	4(B)	उपयंत्री विधुत	04	00	01	01	06	कार्यपालिक
5	आयुक्त, संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.)	5(A)	प्रमुख मानचत्रिकार	01	00	00	00	01	कार्यपालिक
6	मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल	6(A)	उपयंत्री (सिविल)	06	02	01	02	11	कार्यपालिक
7	प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बी विंग द्वितीय तल विंध्याचल भवन	7(A)	उपयंत्री (सिविल)	36	12	15	10	73	कार्यपालिक
	भोपाल	7(B)	सहायक मानचित्रकार	07	02	03	02	14	कार्यपालिक
8	कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग जल भवन	8(A)	उपयंत्री (सिविल)	47	00	00	00	47	कार्यपालिक
	बाणगंगा, भोपाल	8(B)	उपयंत्री (वि/या)	12	00	00	00	12	कार्यपालिक
	योग			249	54	80	50	433	

भर्ती का प्रकार - सीधी बैकलांग भर्ती

9	आयुक्त, संचालनालय पुरातत्व,	9(A)	उपयंत्री	00	00	01	00	01	कार्यपालिक
	अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.)	9(B)	मानचित्रकार	00	00	00	01	01	कार्यपालिक
10	कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग जल भवन	10(A)	उपयंत्री (सिविल)	00	13	16	12	41	कार्यपालिक
	बाणगंगा, भोपाल	10(B)	उपयंत्री (वि/या)	00	04	05	03	12	कार्यपालिक
11	आयुक्त, कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, सतपुडा	11(A)	उपयंत्री (सिविल)	00	02	01	04	07	कार्यपालिक
	भवन मध्यप्रदेश भोपाल,	11(B)	निर्माण सहायक	00	02	02	01	05	कार्यपालिक
		11(C)	सहायक मानचित्रकार	00	01	01	01	03	कार्यपालिक
		11(D)	अनुरेखक	00	01	01	01	03	कार्यपालिक
12	कार्यालय मुख्य अभियंता विधुत सुरक्षा एवं मुख्य विधुत निरीक्षक, म.प्र. शासन क - खंड, तीसरी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.)	12(A)	उपयंत्री	00	05	08	05	18	कार्यपालिक
13	प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बी विंग द्वितीय तल विंध्याचल भवन भोपाल	13(A)	अनुरेखक	00	00	01	00	01	कार्यपालिक
	योग			0	28	36	28	92	

भर्ती का प्रकार - संविदा भर्ती

	मुख्य प्रबंधक, म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड,	14(A)	उपयंत्री (सिविल)	05	01	02	02	09	कार्यपालिक
	पालिका भवन 6 न. बस स्टाप शिवाजी नगर भोपाल - 462016	14(B)	उपयंत्री (मैकेनिकल)	02	00	01	00	03	कार्यपालिक
14		14(C)	उपयंत्री (इलेक्ट्रीकल)	03	01	01	00	05	कार्यपालिक
		14(D)	उपयंत्री (इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन)	03	01	01	00	05	कार्यपालिक
		14(E)	उपयंत्री (आई.टी.)	01	00	00	00	01	कार्यपालिक
	योग			14	03	05	02	23	
	महायोग			264	85	121	80	548	

सीधी भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

1- कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक 534 दिनांक 09.10.2017 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पोस्ट कोड-001 (A) सीधी भर्ती & सहायक मानचित्रकार - कुल 01 पद की आरक्षण तालिका -

TT-	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
सक्र.	71011	ओपन	महिला	ओपन	महिला	याग	
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	.
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान - 5200-20200+2400

शैक्षणिक योग्यता - सिविल मानचित्रकारिता में व्यवसाय प्रमाण पत्र उत्तीर्ण

पोस्ट कोड-01 (B) सीधी भर्ती & सर्वेयर - कुल 01 पद की आरक्षण तालिका -

та	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
सक्र.	7 1011	ओपन	महिला	ओपन	महिला	থাগ	
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान - 5200-20200+2400

शैक्षणिक योग्यता – 1) हाई सकेण्डरी (10+2) गणित विषय के साथ उत्तीर्ण।

2) उद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेयर व्यवसाय प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण

2- कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर भोपाल म-प्र 462003 (म.प्र.)

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर भोपाल म-प्र 462003 (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 2387 भोपाल 13-10-2017,33222851/ सीधी भर्ती/2016भोपाल दिनांक 09/07/018 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नान्सार है -

पोस्ट कोड-02 (A) सीधी भर्ती & उपयंत्री (वि./या.) - कुल 60 पदों की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
ধ্বপ্ল.	71011	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ধাণ	निशक्तजनों की कुल 04 रिक्तियों में से
1.	अनारक्षित (UR)	19	08	02	01	30	04 अस्थिबाधित के लिये आरक्षित है।
2.	अनुसूचित जाति (SC)	07	02	01	00	10	जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	08	03	01	00	12	लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	05	02	01	00	08	मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी
	योग	39	15	05	01	60	की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।

वेतनमान - 9300- 34800+3200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता - विद्युत/यांत्रिकी इंन्जीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण ।

पोस्ट कोड-02 (B) सीधी भर्ती & उपयंत्री (सिविल) - कुल 141 पदों की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
ধ্বপ্ন.	7 9 ° 11	ओपन	महिला	ओपन	महिला	વાળ	निशक्तजनों की कुल 07 रिक्तियों में से
1.	अनारक्षित (UR)	44	20	05	02	71	04 अस्थिबाधित 03 श्रवणबाधित के
2.	अनुसूचित जाति (SC)	14	07	01	01	23	लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	17	08	02	01	28	नि:शक्तजन इन पदों के लिए चयनित
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	12	05	01	01	19	होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया
	योग	87	40	09	05	141	जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।

वेतनमान - 9300- 34800+3200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता - सिविल इंन्जीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण ।

 संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विन्ध्याचल भवन, चतुर्थ तल, भोपाल म.प्र.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विन्ध्याचल भवन, चतुर्थ तल, भोपाल (म.प्र.) पत्र क्रमांक 1197 भोपाल 06-10-2017 पत्र 844 दिनांक 5-5-18, पत्र क्रमांक 3985 भोपाल 26-10-2017, पत्र क्रमांक 846 भोपाल 05-05-2018 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पोस्ट कोड-03 सीधी भर्ती (मानचित्रकार) - कुल 29 पदों की आरक्षण तालिका -

112	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
सक्र.		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ধাণ	निशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से
1.	अनारक्षित (UR)	10	04	01	00	15	श्रवणबाधित के लिये आरक्षित है। जिस
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	00	00	04	श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिए
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	02	01	00	06	चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेत् मान्य
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	00	00	04	किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की
	योग	19	08	02	00	29	बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।

वेतनमान - 5200-20200+2400 ग्रेड पे शैक्षणिक योग्यता - सिविल इंजीनियरिंग मे डिप्लोमा 4- मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, चतुर्थ तल, खंड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011 म.प्र.

मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, चतुर्थ तल] खंड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011 म.प्र. के पत्र क्रमांक 1547 भोपाल, दिनांक 25.10.2017 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

पोस्ट कोड-04 (A) - सीधी भर्ती - उपयंत्री (सिविल) - कुल 37 पदों की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
सफ़.	7/211	ओपन	महिला	ओपन	महिला	प्राण	निशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से
1.	अनारक्षित (UR)	12	06	00	00	18	01 श्रवणबाधित पद निशक्तजन के लिये
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	09	05	00	00	14	इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	00	00	04	श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद
	योग	25	12	00	00	37	प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों
							में समाहित है।

वेतनमान **– 9300-34800+3200**

शैक्षणिक योग्यता - सिविल इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा

पोस्ट कोड-04 (B)- सीधी भर्ती - उपयंत्री (विद्युत) - कुल 06 पदों की आरक्षण तालिका -

ша	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
सक्र.	% 011	ओपन महिला ओपन महिला					
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	00	00	04	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	<u> </u>
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	05	01	00	00	06	

वेतनमान – 9300-34800+3200

शैक्षणिक योग्यता – विद्युत इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा

5- संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.) संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 386 भोपाल, दिनांक 12.05.2018 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पोस्ट कोड-05 - सीधी भर्ती & प्रमुख मानचित्रकार - कुल 01 पदों की आरक्षण तालिका -

	सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
H	я п.	ત્રુગા	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ধাণ	
1	۱.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	
2	2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	0.
3	3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	निरंक
4	١.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
		योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान – 32,800-1,03,600 (रू. 125/- विशेष भत्ता) शैक्षणिक योग्यता - हायर सेकंडरी उतीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय पत्रोपाधि अथवा ड्राफ्टमैन में प्रमाण-पत्र 6- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के पत्र क्रमांक 2412/स्था./प्रनिबों/2017, भोपाल दिनांक 31.10.2017, के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पोस्ट कोड-06 सीधी भर्ती -& उपयंत्री - क्ल 11 पदों की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
ধ্বপ্ন	7 1011	ओपन	महिला	ओपन	महिला	থাগ	निशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से
1.	अनारक्षित (UR)	05	01	00	00	06	01 अस्थि बाधित पद निशक्तजन के
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	01	00	00	01	नि:शक्तजन इन पदों के लिए चयनित
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	00	00	02	होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया
	योग	07	04	00	00	11	जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना
							वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।

वेतनमान - 9300 - 34800+3200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता - मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

7- कार्यालय प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश, भोपाल अधीक्षण यंत्री(स्था.) प्रमुख अभियंता कार्यालय, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश, बी विंग, द्वितीय तल विंध्याचल भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 4097/22/वि-3/ग्रायांसे/2018, भोपाल दिनांक 06.07.2018, 418/22/वि-3/ग्रायांसे/2018 भोपाल, दिनांक 07/07/2018 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पोस्ट कोड-07 (A) सीधी भर्ती -& उपयंत्री - कुल 73 पदों की आरक्षण तालिका -

	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व	सैनिक	योग	विकलांग
सक्र.	3 4 1	ओपन	महिला	ओपन	महिला	યાળ	निशक्तजनों की कुल 05 रिक्तियों में से
1.	अनारक्षित (UR)	20	12	02	02	36	05 अस्थिबाधित पद निशक्तजन के लिये
2.	अनुसूचित जाति (SC)	07	04	01	00	12	आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	09	05	01	00	15	इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	06	03	01	00	10	श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद
	योग	42	24	05	02	73	प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों
							में समाहित है।

वेतनमान - 9300 - 34800+3200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता - मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

पोस्ट कोड-07 (B) सीधी भर्ती -& सहायक मानचित्रकार - कुल 14 पदों की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
ধ্বপ্ল.	7 9 ° 11	ओपन	महिला	ओपन	महिला	पाण	
1.	अनारक्षित (UR)	05	02	00	00	07	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	00	00	03	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	01	00	00	02	
	योग	09	05	00	00	14	

वेतनमान - 5200 - 20200+2400 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता – म.प्र.शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से मानचित्रकार(सिविल) डिप्लोमा, (वास्तुविद) डिप्लोमा हो ।

अथवा

पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल अभियांत्रिकी

अथवा

वास्तुविद में डिप्लोमा

8- कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग जल भवन बाणगंगा, भोपाल

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग जल भवन बाणगंगा, भोपाल के पत्र क्रमांक 632 भोपाल, दिनांक 22.01.2018 6001/स्था./अराज./प्र.अ./ लोक.स्वा.या.वि./2018 दिनांक 7/7/2018 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पोस्ट कोड-08(A) सीधी भर्ती & उपयंत्री (सिविल)- कुल 47 पदों आरक्षण तालिका -

	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
सक्र.	ત્રાળા	ओपन	महिला	ओपन	महिला	याग	निशक्तजनों की कुल 03 रिक्तियों में से
1.	अनारक्षित (UR)	28	13	05	01	47	अस्थितबाधित निशक्तजन के लिये
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद
	योग	28	13	05	01	47	प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों
							में समाहित है।

वेतनमान - 9300-34800+3200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता - राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा

पोस्ट कोड-08(B) सीधी भर्ती & उपयंत्री (वि./या.)- कुल 12 पदों आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
ধ্বপ্ল.	7/211	ओपन	महिला	ओपन	महिला	प्राण	
1.	अनारक्षित (UR)	07	04	01	00	12	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	07	04	01	00	12	

वेतनमान - 9300-34800+3200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता - राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से यांत्रिकी (मैकेनिकल) इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा

सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों का वर्गवार विवरण

9- संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.) संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 3842 भोपाल, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पोस्ट कोड-09(A) - सीधी भर्ती बैकलॉग & उपयंत्री - कुल 01 पदों की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
ধ্বপ্ল.	7 9 ° 11	ओपन	महिला	ओपन	महिला	प्राण	
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान - 32,800-1,03,600

शैक्षणिक योग्यता - हायर सेकेण्डरी उतीर्ण तथा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग मे त्रिवर्षीय पत्रोपिध

पोस्ट कोड-09(B) - सीधी भर्ती बैकलॉग & मानचित्रकार - क्ल 01 पदों की आरक्षण तालिका -

					<u> </u>				
112	NUIT NUIT	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग		
सक्र.		महिला	থাগ						
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00			
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00			
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	निरंक		
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01			
	योग	01	00	00	00	01			

वेतनमान - 32,800-1,03,600

शैक्षणिक योग्यता - हायर सेकंडरी उतीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय पत्रोपाधि अथवा ड्राफ्टमैन में प्रमाण-पत्र 10- कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग जल भवन बाणगंगा, भोपाल

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग जल भवन बाणगंगा, भोपाल के पत्र क्रमांक 632 भोपाल, दिनांक 22.01.2018 6001/स्था./अराज./प्र.अ./ लोक.स्वा.या.वि./2018 दिनांक 7/7/2018 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पोस्ट कोड-10(A) सीधी भर्ती बैकलॉग & उपयंत्री (सिविल)- कुल 41 पदों आरक्षण तालिका -

112	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
सक्र.	3 °	ओपन	महिला	ओपन	महिला	વાળ	निशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	अस्थितबाधित निशक्तजन के लिये
2.	अनुसूचित जाति (SC)	09	04	00	00	13	आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	11	05	00	00	16	इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	08	04	00	00	12	श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद
	योग	28	13	0	00	41	प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों
							में समाहित है।

वेतनमान - 9300-34800+3200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता - राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा

पोस्ट कोड-10(B) सीधी भर्ती बैकलॉग & उपयंत्री (वि./या.)- कुल 12 पदों आरक्षण तालिका -

TT-	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
सक्र.	71011	ओपन	महिला	ओपन	महिला	प्राण	
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	00	00	04	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	04	01	00	00	05	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	02	01	00	00	03	
	योग	09	03	00	00	12	

वेतनमान - 9300-34800+3200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता - राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से यांत्रिकी (मैकेनिकल) इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा 11- कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल, कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक स्था./198-2/2018/11470, भोपाल दिनांक 18.05.2018, के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नान्सार है -

पोस्ट कोड-11 (A) सीधी भर्ती बैकलांग - अ उपयंत्री (सिविल) - क्ल 07 पदों की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		विकलांग
ধ্বপ্ন.	A ∪	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	निशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	01 अस्थि बाधित एवं 01 श्रवण बाधित
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	पद निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिए
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	00	00	04	चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य
	योग	05	02	00	00	07	किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना
							वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।

वेतनमान - 36200 - 114800

शैक्षणिक योग्यता –सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

पोस्ट कोड-11(B) सीधी भर्ती बैकलांग-& निर्माण सहायक - क्ल 05 पदों की आरक्षण तालिका -

112	श्रेणी	ৰিল	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		विकलांग
सक्र.	ત્રાળા	ओपन	महिला	ओपन	महिला	योग	निशक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	01 अस्थि बाधित पद निशक्तजन के
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	00	00	02	नि:शक्तजन इन पदों के लिए चयनित
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया
	योग	03	02	00	00	05	जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना
							वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है।

वेतनमान - 25300 - 80500

शैक्षणिक योग्यता - 10+2 हाईस्कूल परीक्षा या हायर सकेण्डरी उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

पोस्ट कोड-11 (C) सीधी भर्ती बैकलांग & सहायक मानचित्रकार - कुल 03 पदों की आरक्षण तालिका -

TT-2-	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
सक्र.	7 9 ° 11	ओपन	महिला	ओपन	महिला	पाण	
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	C ·
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	03	00	00	00	03	

वेतनमान - 25300 - 80500

शैक्षणिक योग्यता - सिविल इंजीनियरिंग में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ओर (नक्शा नवीस) पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र ।

पोस्ट कोड-11 (D) सीधी भर्ती बैकलांग & अन्रेखक - कुल 03 पदों की आरक्षण तालिका -

112	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
सक्र.	7 1 ° II	ओपन	महिला	ओपन	महिला	থাগ	
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	<u> </u>
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	03	00	00	00	03	

वेतनमान - 19500 - 62000 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता - सिविल इंजीनियरिंग में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ओर (नक्शा नवीस)पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र । 12- कार्यालय मुख्य अभियंता विधुत सुरक्षा एवं मुख्य विधुत निरीक्षक, म.प्र. शासन क -खंड, तीसरी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय मुख्य अभियंता विधुत सुरक्षा एवं मुख्य विधुत निरीक्षक, म.प्र. शासन क - खंड, तीसरी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 51 भोपाल, दिनांक 10.05.2018 एवं 1017 दिनांक 3.4.2018 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पोस्ट कोड - 12 (A) सीधी भर्ती बैकलांग & उपयंत्री - कुल 18 पदों की आरक्षण तालिका -

		श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
	सक्र.		ओपन	महिला	ओपन	महिला	याग	
	1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	
	2.	अनुसूचित जाति (SC)	03	01	01	00	05	<u> </u>
	3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	03	02	00	08	निरंक
	4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	01	00	05	
		योग	09	05	04	00	18	
۱								

वेतनमान - 9300-34800+3200 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता - मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

13- कार्यालय प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश, भोपाल अधीक्षण यंत्री(स्था.) प्रमुख अभियंता कार्यालय, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश, बी विंग, द्वितीय तल विंध्याचल भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 4187/22/वि-3/ग्रायांसे/2018, भोपाल दिनांक 10.07.2018 के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पोस्ट कोड-13 (A) सीधी भर्ती बैकलांक-& अन्रेखक - क्ल 01 पदों की आरक्षण तालिका -

па	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
सक्र.	71011	ओपन	महिला	ओपन	महिला	থাগ	
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	<u> </u>
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	निंरक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान - 5200 - 20200+1900 ग्रेड पे

शैक्षणिक योग्यता – म.प्र.शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से मानचित्रकार (सिविल) डिप्लोमा हो अथवा पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल अभियांत्रिकी अथवा वास्तुविद में उपयंत्रियों डिप्लोमा ।

संविदा भर्ती बैकलॉग के पदों का वर्गवार विवरण

14- म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड, भोपाल

म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड, पालिका भवन 6 न. बस स्टाप शिवाजी नगर भोपाल - 462016 के पत्र क्रमांक 4764 भोपाल, दिनांक 10.08.2017 एवं 5508 दिनांक 12.07.2018 के अन्सार रिक्त पदों की जानकारी निम्नान्सार है -

पोस्ट कोड-14 (A) संविदा भर्ती & उपयंत्री (सिविल) - क्ल 09 पदों की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
ধ্বপ্ল.	7 9 ° 11	ओपन	महिला	ओपन	महिला	पाण	
1.	अनारक्षित (UR)	03	02	00	00	05	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	01	00	00	02	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	01	00	00	00	01	
	योग	06	03	00	00	09	

वेतनमान –38,700/- (Including Employee Contribution of PF,LWF & PT)

शैक्षणिक योग्यता – 1. Graduate in Engineering (Civil) from AICTE approved college/University

1. Minimum 3 years of post Qulification professional experience.

पोस्ट कोड-14 (B) संविदा भर्ती & उपयंत्री यांत्रिकी (मैकेनिकल) - कुल 03 पदों की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
የተ ያቦ.	7 9 ° 11	ओपन	महिला	ओपन	महिला	प्राण	
1.	अनारक्षित (UR)	01	01	00	00	02	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	C ·
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	02	01	00	00	03	

वेतनमान -38,700/- (Including Employee Contribution of PF,LWF & PT)

शैक्षणिक योग्यता – 1. Graduate in Engineering (Mechanical) from AICTE approved college/University

2. Minimum 3 years of post Qulification professional experience.

पोस्ट कोड-14 (C) संविदा भर्ती & उपयंत्री विद्युत (इलेक्ट्रीकल) - कुल 05 पदों की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	पाण	
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	00	00	03	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	04	01	00	00	05	

वेतनमान –38,700/- (Including Employee Contribution of PF,LWF & PT)

शैक्षणिक योग्यता – 1. Graduate in Engineering (Electrical) from AICTE approved college/University

2. Minimum 3 years of post Qulification professional experience.

पोस्ट कोड-14 (D) संविदा भर्ती & उपयंत्री इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन- कुल 05 पदों की

आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	प्राण	
1.	अनारक्षित (UR)	02	01	00	00	03	0.
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	00	00	00	01	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	01	00	00	00	01	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	04	01	00	00	05	

वेतनमान –38,700/- (Including Employee Contribution of PF,LWF & PT)

शैक्षणिक योग्यता – 1. Graduate in Engineering (Electronics & Telecommunication/ Electronics & Instrumentaion) from AICTE approved college/University

2. Minimum 3 years of post Qulification professional experience.

पोस्ट कोड-14(E) संविदा भर्ती & उपयंत्री आई. टी. - कुल 01 पदों की

आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	વાળ	
1.	अनारक्षित (UR)	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	निरंक
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	01	00	00	00	01	

वेतनमान –38,700/- (Including Employee Contribution of PF,LWF & PT)

शैक्षणिक योग्यता – 1. Graduate in (InformationTechnology) from AICTE approved college/University

2. Minimum 3 years of post Qulification professional experience.

अध्याय-3

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश खण्ड-अ

- 3.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
 - (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे।
 - (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- 3.2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य</u> रूप से पूर्ण होने चाहिये।
 - (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
 - (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
 - (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
 - (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
 - (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।
- 3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening

Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी.ई.बी. के आदेश क्रमांक पी.ई.बी./प-1/3454/2018 भोपाल दिनांक 13/07/2018 के अनुसार लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(i) (अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

- 1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
- 2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
- 3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
- 4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएं:-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक अथवा अतिरिक्त समय की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ-पत्र सहित पी.ई.बी. कार्यालय को परीक्षा दिनांक से दस दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगी ताकि पी.ई.बी. स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमित प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थीद्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमित दी ज सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्ते:-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्तता, परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से कम होना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि परीक्षार्थी की शैक्षणिक योग्तया स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेण्डरी होना चाहिये।

(ii) अतिरिक्त समय हेतु शर्ते :-

यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय हेतु आवेदन करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए

60 मिनट

21/2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 50 मिनट

2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 40 मिनट

11/2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाऐं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारितत किया जावेगा ।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :--

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।
- उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$90 \times 100$$
 $----= 91.83$
 $(100-2)$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धित से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = rac{ar{M}_t^g - M_q^g}{ar{M}_{ti} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

 M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

 $ar{M}_t^g$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

 M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

 \bar{M}_{i} is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

 M_{ig} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

3.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) ≔

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

- (अ) अनुचित साधन (Unfair means) / यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में
 - परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।

- 2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करनाव अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
- प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
- 4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- 6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- 7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहॅचाना।
- 8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
- 9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
- 10.उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) <u>पररूपधारण (IMPERSONATION)</u> के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधिके अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. सिमिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की स्विधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।
- 3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

खण्ड-ब

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप-02 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

3.16 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र प्रारूप-02 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख</u> <u>होना चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।

- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

3.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमित दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश:

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

- (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सिहत आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से
 - 1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना।
 - 2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टी करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके।
 - 3. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा। इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्टेशन डेस्क पर स्वत: हो सकेगा।
 - 4. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

3.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेत् Continue बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-
 - (अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड
 - (ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.22 इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।
- 3.23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, तािक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलार्र्इन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अविध में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अविध में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित

- परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पित के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (viii) संशोधन के लिए निर्धारित अविध में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (x) संशोधन के लिए निर्धारित समयाविध के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

3.25 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अविध में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पित का नाम, माता का नाम जन्मितिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकाँपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तिलिप का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
- 3.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।
- 3.28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।
- 3.29 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अविध बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

3.30 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात प्रनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID "complain.peb@mp.gov.in" पर भेज सकते है।

3.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की	भरने के कुल	करने की प्रारंभिक	करने की अंतिम	करने के कुल
	अंतिम तिथि	दिवस	तिथि	तिथि	दिवस
27.07.2018	10.08.2018	15	27.07.2018	15.08.2018	20

3.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्रं.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	01-02.09.2018	03 घंटे	प्रात: 09:00 से 12:00 तक	200
2	द्वितीय	01-02.09.2018	03 घट	दोपहर 02:00 से 05:00 तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

3.34 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/-	250/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 40/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये
		किये जाने पर शुल्क	जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	50/-

3.35 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धित से आयोजित है अत: परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र					
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. सागर	6. सतना

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.42

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2:00 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यथी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा ।
 अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमान्सार निर्धारित प्रारूप में प्रस्त्त कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है । अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन पी.ई.बी. के पास स्रक्षित रहेगा ।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धातर तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।
- (xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी । ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
- (xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय - 04

पाठ्यक्रम

(परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा)

प्रश्नपत्र का विवरण:

प्रश्न खण्ड अ हायर सेकेण्डरी स्तर

100 अंक

विषयों का विवरण
1. सामान्य ज्ञान
2. सामान्य हिन्दी
3 .सामान्य अंग्रेजी
4. सामान्य गणित
5. सामान्य तार्किक योग्यता
6. सामान्य विज्ञान
7. सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान

प्रश्न खण्ड ब 100 अंक

	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल
संबंधित अर्हकारी विषय	का संबंधित विषय में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम (वर्ष
	2018)

प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपप्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयाविध तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
परीक्षा की दिनांक	
परीक्षा का समय/शिफ्ट	
परीक्षा का शहर	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

पी.ई.बी. की वेबसाईट पर प्रदर्शित उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में निम्न प्रश्न/उत्तर निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स.	विषय	प्रश्न	प्रश्न में त्रुटि का	आदर्श कुंजी	अभ्यर्थी	प्रश्न/उत्तर के	संलग्नक
쿍.		क्रमांक	विवरण	में प्रदर्शित	के	समर्थन में प्रस्तुत	क्रमांक
				उत्तर	अनुसार	दस्तावेज का	
					उत्तर	विवरण	

2.	उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । आवेदक के हस्ताक्षर
	आवेदक का नाम एवं पता
	दूरभाष क्रमांक
	दिनांक

Professional Examination Board प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo 4" x 5" सेमी फोटो यहाँ चिपकाये 4" x 5" cm photo paste here

हस्ताक्षर / Signature

Box-2 निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों eavFkok vaxath ds y/kq gLrk{kj ekU; ugha gkaxs A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक प्राना नहीं होना चाहिए

 Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

में घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरदकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your

	running hand writingin box-3, the declaration given above)						
į							
1							

Rov-3

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1.	परीक्षा का नाम	:	
2.	परीक्षा की तिथि/पॉली/समय	:	
3.	परीक्षा केन्द्र का नाम	:	
4.	परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में)	:	
	(जैसा बैंक खाते में है)		
5.	परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में):	
6.		:	
7.	बैंक का नाम		
8.	बैंक शाखा का नाम	:	
9.	बैंक का IFS Code	:	
10.	बैंक खाता क्रमांक	:	
11.	परीक्षार्थी गृह जिला	:	
12.		दूरी :	
13.	यात्रा का प्रकार	:	
14.	यात्रा व्यय की राशि	:	
15.	पत्र व्यवहार का पता	:	
16.	ई-मेल	:	
17.	फोन न.	:	
संलग्न	`:-		
	1. बैक पास बुक की छायार्पा	ते (प्रथम पृष्ठ) ।	
	2. यात्रा के दौरान उपयोग वि	केये गए टिकिट (मूल प्रति)।	
	3. जाति/ विकलांगता प्रमाण	पत्र की छायाप्रति ।	
दिनांक			
			हस्ताक्षर
			निवास का पूर्ण पता